UPSP010059302026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी. 1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2280/2026

मन्सूर उर्फ राजा पुत्र तासीन, निवासी ग्राम महमूद मजरा रायपुर, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर।
..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य ..... अभियोजन

मु.अ.सं.– 142/2026
धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–मिर्जापुर, जिला– सहारनपुर।

05–06–2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **मन्सूर उर्फ राजा** पुत्र तासीन द्वारा मु0अ0सं0– 142/2026, धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ मसरूर पुत्र तासीन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अभियुक्त का कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 19.05.2026 को वादी उ0नि0 चरनपाल सिह मय हमराहीगण मय प्राइवेट वाहन के थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 16 समय 8:20 बजे रवाना होकर कस्बा मिर्जापुर से रायपुर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते मे ईदगाह मस्जिद के सामने सडक पर एक व्यक्ति खडा दिखाई दिया। वह व्यक्ति पुलिस वालो को अपनी ओर आता देख वह तेज कदमो से कब्रिस्तान की ओर चलने लगा जब पुलिस वालो ने उसे आवाज देकर रुकने को कहा तो वह व्यक्ति पीछे देख शक पकाकर आगे की ओर तेज कदमो से ईदगाह मस्जिद के सामने स्थित कब्रिस्तान के अंदर की ओर चलने लगा तब बदमाश होने का शक होने पर पुलिस वालो ने इस व्यक्ति का पीछा करके एक बारगी दबिश देकर इस व्यक्ति को मिर्जापुर–रायपुर मार्ग पर स्थित कब्रिस्तान के अंदर करीब 20 कदम की दूरी पर पकड लिया। पकड़े गये व्यक्ति से भागने का कारण पूछते हुए नाम पता पूछा तो पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम **मंसूर उर्फ राजा** पुत्र तासीन निवासी ग्राम महमूद माजरा रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर बताया व अपनी गलती की माफी मागते हुए बताया कि साहब मेरे पास पन्नी मे चरस है। वादी उ०नि० के द्वारा पकडे गये इस व्यक्ति को धारा 50 एनडीपीएस के प्रावधानों से अवगत कराते हुए बताया गया कि आपको अपनी जामा किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट से लिवाने का अधिकार है जिस पर इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि मैं किसी उच्च अधिकारी को मौके पर बुलाकर और अपनी खिलाफ गवाह नही बनाना चाहता हूं। मुझे आप पर ही पूर्ण विश्वास है आप ही मेरी जामा तलाशी ले लो। वादी उ०नि० द्वारा मौके पर ही पकड़े गये व्यक्ति की इच्छानुसार सहमति पत्र अन्तर्गत धारा 50 एनडीपीएस के प्रावधानो के अनुसार तैयार किया और पकडे गये व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर इस व्यक्ति की लोअर की दायी जेब से एक नीली पन्नी के अन्दर अवैध चरस बरामद हुई। बरामद चरस को वादी उ०नि० द्वारा स्वयं सूंघा व हमराही कर्मचारीगण को सूंघाया तो **चरस** की गंध आ रही है। बरामद चरस को विवेचना किट से इलेक्ट्रानिक कांटा

निकालकर वादी उ०नि० द्वारा तौला गया तो चरस का कुल वजन मय पन्नी के **135 ग्राम** अवैध चरस है। पकडे गये अभियुक्त को इसके जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से अवगत कराकर कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 11.00 बजे जायज पुलिस हिरासत में लिया गया। उक्त आधार पर अभियुक्त मन्सूर उर्फ राजा के विरुद्ध धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है, प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को गांव की पार्टीबाजी के आधार पर झूठा रंजिशन फंसाया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 व 55 की कोई कम्पलायंस नहीं की है। प्रार्थी से पुलिस ने 135 ग्राम चरस बरामद होना दिखाया है, जो कि फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है। प्रार्थी से कोई भी चरस बरामद नहीं हुई है। प्रार्थी को घर से उठाकर उक्त मुकदमे में संलिप्त किया गया है। पुलिस द्वारा कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 19.05.2026 से जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त मन्सूर उर्फ राजा को पुलिस कर्मियों द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से **135 ग्राम** अवैध **चरस** की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्रदान किये जाने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त **मन्सूर उर्फ राजा** को मौके से पकड़े किये जाने पर उसके कब्जे से **135 ग्राम** अवैध **चरस** बरामद होना अभिकथित है। उपरोक्त बरामद चरस के विषय में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	अभियुक्त से बरामद
23	चरस	100 ग्राम	1000 ग्राम	**135 ग्राम**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद चरस की मात्रा अल्पमात्रा से थोड़ी अधिक है, किन्तु वाणिज्यिक श्रेणी से काफी कम है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनाँक 19.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मन्सूर उर्फ राजा** पुत्र तासीन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–142/2026, अन्तर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/– (पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये, कि–

(1) अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण

सहयोग करेगा और बिना किसी कारण कोई स्थगन नहीं देगा और गवाह आने पर प्रत्येक स्थिति में गवाह से प्रतिपरीक्षा करेगा,

(2) अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा, और

(3) अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 05–06–2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)